

**प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के  
भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2007 (एफ0सी0, डिवीजन) दिनांक-05-02-2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0 बांदा द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMP) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा

  
14/07/18  
अमर सिंह  
अधिशाषी अभियन्ता  
लो0नि0वि0 बांदा  
बांदा